

मदिरा दुकान के आवेदन पत्र का प्रारूप

(लॉटरी, प्रथम आवक प्रथम पावक, अधिकतम राजस्व ऑफर हेतु)

दुकान का प्रकार	दुकान का नाम

वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025) तक

देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (देशी शराब -5ग)/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (विदेशी मदिरा-5घ) हेतु आवेदन पत्र।

(मदिरा की फुटकर दुकान हेतु आबकारी नीति विषयक नियमावली-2024 में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयुक्त आवेदन पत्र स्वीकार किये जा सकते हैं)

(क) निम्न विवरण आवेदक द्वारा स्वयं भरे जायेंगे:-

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. आयु
4. जन्म तिथि: दिवस/माह/वर्ष...../...../.....
5. लिंग:पुरुष/महिला.....
6. स्थाई पता.....

आवेदक का
नवीनतम
स्वप्रमाणित
फोटोग्राफ

मकान नम्बर.....
नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....
थाना/पटवारी पट्टी.....
तहसील/उप तहसील.....
जिला.....उत्तराखण्ड।
दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर).....
मोबाईल नम्बर

7. पैन नम्बर.....
8. आई०टी०आर० का विवरण
9. आधार कार्ड नम्बर
10. आवेदित मदिरा दुकान का विवरण.....
11. जनपद.....

(ख) निम्न विवरण सह आवेदक द्वारा स्वयं भरे जायेंगे:—

1. सह आवेदक का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. आयु
4. जन्म तिथि: दिवस/माह/वर्ष...../...../.....
5. लिंग:पुरुष/महिला.....
6. स्थाई पता.....

सह आवेदक
का नवीनतम्
स्वप्रमाणित
फोटोग्राफ

मकान नम्बर.....
नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....
थाना/पटवारी पट्टी.....
तहसील/उप तहसील.....
जिला.....उत्तराखण्ड।
दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर).....
मोबाईल नम्बर

7. पैन नम्बर.....
8. आई०टी०आर० का विवरण.....
9. आधार कार्ड नम्बर

- (i) दुकान का नाम.....
- (ii) दुकान का प्रकार.....
- (iii) कुल निर्धारित राजस्व :-
वित्तीय वर्ष 2024-25 (अंको में).....(शब्दों में).....
- (iv) अनुज्ञापन शुल्क (वित्तीय वर्ष 2024-25) रूपये
(अंको में).....(शब्दों में).....
- (v) निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि (वित्तीय वर्ष 2024-25) रूपये (अंको में).....
.....(शब्दों में).....
- (vi) प्रक्रिया/प्रोसेसिंग शुल्क (उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली-2023 के अनुसार
रु० (अंको में).....(शब्दों में).....

10. जमा प्रोसेसिंग शुल्क के बैंक ड्राफ्ट/जमा करने का विवरण— (उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किये जायेंगे। (दिनांक 21.02.2024 से पूर्व के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे) :-
11. आधार कार्ड की छायाप्रति (यदि पूर्व में जमा न की गई है।)

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक की प्रास्थिति

आवेदक की घोषणा

मैं आवेदक पुत्र/पत्नी/पुत्री..... घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त बिन्दु 1 से 11 में दिया गया विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा अनुज्ञापन प्रार्थना पत्र निरस्त करने व प्रोसेसिंग शुल्क जब्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो, मेरा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं इस तथ्य से भिन्न हूँ कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि दुकान अनुज्ञापन हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली-2024 के अन्तर्गत निर्धारित समय के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में तथा निर्धारित धनराशि भी समयान्तर्गत जमा कर दूंगा/दूँगी। यदि वांछित धनराशि तथा प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में अनुज्ञापन को मेरे जोखिम पर निरस्त किया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक का नाम बड़े अक्षरों में

नोट—

1. अस्ताक्षरित अथवा अंगूठे का निशान न होने पर आवेदन मान्य नहीं होगा।
2. जो लागू न हों, उसे काट दें।

(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

आवेदक श्री / श्रीमति / कुमारी.....पुत्र / पत्नी / पुत्री.....
.....निवासी.....देशी मदिरा फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन
(सी०एल०-5ग) / विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (एफ०एल०-5घ).....
.....हेतु आवेदन पत्र उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024 में
निर्धारित प्रपत्रों व राजस्व के साथ प्राप्त किया गया।

दिनांक.....

कार्यालय की सील

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर व समय.....